न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 07 / 2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– लक्ष्मणगढ़, सेठों का बाजार, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर–332311
प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. विनोद कुमार सैनी पुत्र भागीरथ मल, पंडो की बगीची के पास, वार्ड नं. 20, लक्ष्मणगढ़, सीकर (राज.)– 332311 अप्रार्थी / ऋणी
2. विनोद कुमार सैनी पुत्र भागीरथ मल, वृन्दावन रिफिल सेन्टर, त्रिवेणी शोपिंग सेन्टर, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज.)– 302015 अप्रार्थी / ऋणी
3. सुगन चन्द शर्मा पुत्र ईश्वर लाल, ग्राम पोस्ट भोजासर बड़ा, लक्ष्मणगढ़, सीकर (राज.)
जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांक: 25 जनवरी, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुरेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **विनोद कुमार सैनी, सुगन चन्द शर्मा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **Equitable Mortgage of Residential Property Situated at near Pandon Ki bagichi Ward No. 20, Laxmangarh Sikar, Rajasthan. belonging to Vinod Kumar saini s/o Bhagirath Mal, Admeasuring at 225 SQ. Yards. Bounded by North Plot of Sharda Devi, South Plot No 22, East Rasta 15" Wide, West Plot No 14.** को बंधक रखकर **12,50,000** /–रूपये (अक्षरे रूपये **बारह लाख पच्चास हजार** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **05.10.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास

बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **05.10.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया, जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **विनोद कुमार सैनी, सुगन चन्द शर्मा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **Equitable Mortgage of Residential Property Situated at near Randon Ki bagichi Ward No. 20, Laxmangarh Sikar, Rajasthan, belonging to Vinod Kumar saini s/o Bhagirath Mal, Admeasuring 225 Sq. Yards, Bounded by North Plot of Sharda Devi, South Plot No 22, East Rasta 15" Wide, West Plot No 14.** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 25 जनवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official